रजिस्टर्ड ए. डी.

(38)

कार्यालय कलेक्टर, पन्ना जिला पन्ना, म0प्र0

कमांक 482 /रीडर/ 2015 दिनांक– 2-12-2015

प्रति,

माननीय अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश
मोती महल ग्वालियर

विषयः– माननीय सदस्य श्री अशोक शिवहरे, राजस्व मण्डल ग्वालियर के निगरानी प्रकरण कमांक 1726–तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2014 एकपक्षीय, विधि विरूद्ध एवं मध्यप्रदेश शासन को लगभग 1,75,00,000/– रूपए की क्षति होने के कारण पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त कराने के संबंध में।

संदर्भः– तहसीलदार पन्ना का प्रतिवेदन पत्र कमांक 306/प्रवाचक/2015 दिनांक 17.11.2015

—:—

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री अशोक शिवहरे, राजस्व मण्डल ग्वालियर के निगरानी प्रकरण कमांक 1726–तीन/ 2014 में पारित आदेश दिनांक 04.08.14 को पुनर्विलोकन में लेकर निरस्त करने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर अनुरोध पत्र प्रस्तुत है:–

(1) ग्राम जनकपुर तहसील पन्ना नगर पन्ना की सीमा से लगा हुआ है इस ग्राम की भूमि खसरा नं0 64 रकवा 164.70 एकड़ मिसिल वंदोवस्त खसरा वर्ष 1955–56 में म0प्र0 शासन के नाम से दर्ज थी ।

(2) तहसीलदार पन्ना के प्रकरण कमांक 106/अ–19 (ब) वर्ष 1984–85 आदेश दिनांक 29.10.1985 द्वारा भूमि खसरा नं0 64/8 रकवा 2.00 हेक्टर का व्यवस्थापन नियम तथा विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्ति रामाधार पिता राम सजीवन साहू निवासी पन्ना के नाम किया गया था।

(3) व्यवस्थापिती रामाधार साहू द्वारा कलेक्टर पन्ना से अंतरण करने की विधिवत् अनुमति प्राप्त किए बिना केता मे. नितिन कालीदास मेहता तनय कालीदास मेहता निवासी ग्रेडिंग अपार्टमेंट 10 वां फलोर 16 रिज रोड मुम्वई को रजिस्टर्ड बिकय पत्र दिनांक 29.12.2001 के माध्यम से विधि विरूद्ध अंतरित की गई और म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन किया गया।

(4) तहसीलदार पन्ना के पत्र कमांक 268 दिनांक 25.03.06 के माध्यम से व्यवस्थापिती एवं केता द्वारा धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय कलेटर पन्ना में प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क0 50/ निगरानी वर्ष 2005–06 पंजीवद्ध किया गया, अनावेदक गण को सुनवाई का अवसर देकर पारित आदेश दिनांक 28.03.07 से उपरोक्त भूमि का अंतरण निरस्त कर भूमि पुनः म0प्र0 शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया और न्यायालय कलेक्टर पन्ना के प्रकरण कमांक 41/अ–19 वर्ष 2007–08 आदेश दिनांक 29.12.07 के द्वारा खसरा नंवर 64/8 रकवा 2.00 हेक्टर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पन्ना को प्रशासकीय भवन, कर्मशाला एवं अन्य गतिविधियों के निर्माण तथा संचालन हेतु निःशुल्क आवंटित की गई, वर्ष 2007–08 से खसरा नंवर 64/8/1 रकवा 2.000 हेक्टर राजस्व अभिलेख में शासकीय अंकित है।

शासन / [illegible]

-XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू - 3954/II/15 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-15	मैंने शास. अधि. के ग्राह्यता पर तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया । प्रकरण में कलेक्टर, पन्ना द्वारा रा.मं. के प्र.क्र. 1726-तीन/14 के आदेश दि. 4-8-14 को रिव्यू में लेकर निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । आधार यह लिखे गए हैं कि कलेक्टर का अभिलेख रा.मं. ने देखा नहीं, और इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश पारित कर दिया, जिससे रू. 1.75 करोड़ की भूमि, भवन आदि जिस पर I.T.I. संचालित है का नुकसान शासन को हुआ है । इन्होंने रा.मं. के आक्षेपित आदेश की जानकारी, किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन दिए जाने पर प्राप्त होना लिखा है । उपरोक्त के प्रकाश में आक्षेपित आदेश और अभिलेखों का परिशीलन करने से और शासनहित निहित होने से, प्रकरण प्रथमदृष्ट्या ग्राह्य किए जाने योग्य लगता है । अतः रिव्यू हेतु ग्राह्य किया जाता है । पुनः नम्बर पर लिया जाए । आदेश पारित । पक्षकार एवं कलेक्टर, पन्ना तथा शासन सूचित हों । प्रकरण समाप्त । दा. द. हो । (सदस्य)	

[कृ. प. उ.